प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष- 2022 प्र0इ0रि0 सं. .....393/22.....दिनांक.....02/10/2022

2. (I) अधिनियमः-धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0

   (II) अधिनियम ..... धारायें .....

   (III) अधिनियम ..... धारायें .....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ..... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या .....17... समय .....1:30 PM..

   (ब) अपराध घटने का दिन-शनिवार, दिनांक 01.10.2022 समय 9.33 एएम

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 30.9.2022 समय 2.50 पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :-पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण।

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब पूर्व दिशा करीब 105 किमी

   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम-श्री कमलेश्वर जांगिड़

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री रामजीलाल जांगिड़

   (स) जन्म तिथी- उम्र-37 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता- भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह .....

   (र) व्यवसाय -प्राईवेट

   (ल) पता- निवासी अल्लाबाली मोहल्ला वार्ड न0 9, मालीवाड़ा विराटनगर जयपुर 7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

1. श्री कैलाश चंद मीना पुत्र श्री प्रेमचन्द मीना, उम्र 47 वर्ष निवासी रायसिंह की ढाणी, पोस्ट चीपलाटा, थाना थोई, जिला सीकर हाल उप निरीक्षक, थानाधिकारी थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण।

2. श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमानसहाय शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 37 साल निवासी बिहारीसर, पुलिस थाना थानागाजी, जिला अलवर हाल हैड कानि0 614 पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-15,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 30-9-2022 को परिवादी श्री कमलेश्वर जांगिड़ पुत्र श्री रामजीलाल जांगिड़ जाति जांगिड़ उम्र 37 साल निवासी अल्लाबाली मोहल्ला वार्ड न0 9, मालीवाड़ा विराटनगर जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ''सेवामें श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर राजस्थान, विषय- पुलिस थाना

विराटनगर के इन्चार्ज द्वारा रिश्वत मांगने के कम मे महोदय, निवेदन है कि मेरी पत्नि सोनू शर्मा द्वारा पुलिस थाना विराटनगर मे मुकदमा न0 278/22 दिनांक 25.09.22 को दर्ज करवाया था जिसकी जांच थाना अधिकारी विराटनगर श्री केलाश चन्द मीणा SI कर रहे है। दिनांक 29.09.22 को दिन के करीब 4 बजे उक्त थाना अधिकारी कैलाश चन्द के रीडर का मोबाईल न. 9950064265 से मेरे मोबाईल न0 6377203172 पर फोन आया तथा रीडर ने मेरे को कहा कि आप को इन्चार्ज साहब बुला रहे है। इस पर मे करीब 6 बजे पुलिस थाना विराटनगर मे जाकर रीडर के कमरे मे मिला तो वहां पर इन्चार्ज श्री कैलाश चन्द मीणा SI भी वहां आ गये श्री कैलाश चन्द मीणा जी ने अपने रीडर के सामने ही मेरे को कहां कि तुम्हारी पत्नि सौनू शर्मा के बयानो के आधार पर केस कमजोर पड़ रहा है। यदि तुम खर्चा पानी करो तो मे केस मजबुत बना दूंगा इस के बाद कैलाशचन्द मीणा SI वहां से चले गये। उसके बाद उनके रीडर जिनका मे नाम नही जानता उसने मेरे को कहा कि इन्चार्ज साहब ने जो कहा था। वह समझ मे आ गयी क्या इस पर मैने कहा कि आप बताओ कितना खर्चा पानी करना पडेगा इस पर उस रीडर ने मेरे से कहा कि इन्चार्ज साहब को भी उपर वाले अफसरो को रूपये देने पडते है। इसलिये आप से पैसे लेने पडते है। उक्त रीडर ने मेरे को 20-30 हजार रूपये रिश्वत के देने के लिये कहां इस पर मैने उसको कहां कि अभी तो मेरे पास रूपये नही है किसी से रूपयों की व्यवस्था होने के बाद आप को देने के लिये आता है। मै तथा मेरी पत्नि हमारे जायज काम के लिये रिश्वत नही देना चाहते है। कार्यवाही करने की कृपा करे। एसडी कमलेश्वर जांगिड़ पुत्र श्री रामजीलाल जांगिड़ निवासी अल्लावाली मोहल्ला वार्ड न0 9, मालीवाड़ा विराटनगर जिला जयपुर मोबाइल न0 7062300060, 6377203172 दिनांक 30.09.2022''। जिस पर दिनांक 30-9-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री नरेश कुमार शर्मा हैड कानि0 614 पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर द्वारा परिवादी को एसएचओ से मिलने के लिए कहना व श्री कैलाश चंद मीना थानाधिकारी थाना विराटनगर, जयपुर ग्रामीण ने परिवादी से उसकी पत्नि द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे मे मदद करने की ऐवज मे 20,000/- रूपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा गरीब होने की कहने पर 15,000/- रूपये रिश्वत लेन देन तय हुआ।

दिनांक 30-9-2022 को श्री संजय कुमार पुत्र श्री जीवनराम जांगिड़,उम्र 33 साल निवासी प्लाट नं0 12-13, धर्म गार्डन के पीछे, गोपालपुरा बाईपास, बदरवास, पुलिस थाना मानसरोवर, जिला जयपुर मो0नं0 9875155544 ने बताया कि मेरे साले श्री कमलेश्वर जांगिड़ की कैलाश चंद पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर से उनकी पत्नि के द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे के क्रम मे 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग की है मेरे साले श्री कमलेश्वर जांगिड़ ने मुझे रिश्वत मे उक्त आरोपी श्री कैलाश चंद को दी जाने वाली राशि 15,000/- रूपये विराटनगर मे दिए थे। इस पर श्री संजय कुमार को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी के जीजाजी श्री संजय कुमार ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000/- रूपये प्रस्तुत किए है। जिन पर श्री विक्रम सिंह कानि0 92 से फिनोलफथलीन पाउडर लगवाया जाकर रिश्वती राशि को एक लिफाफे मे रखवाया गया। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 30.09.2022 को फर्द पेशकशी रिश्वती राशि के अनुसार आरोपी श्री कैलाश चन्द मीणा थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर जयपुर ग्रामीण को दी जाने वाली रिश्वती राशि कार्यालय की आलमारी मे स्वतंत्र गवाह के समक्ष रखी थी। दिनांक 1-10-2022 को 7.05 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय की आलमारी को खुलवाया जाकर उसमे रखी हुयी रिश्वती राशि के लिफाफे को श्री विक्रम सिंह कानि0 92 से निकलवाकर परिवादी के जीजा श्री संजय कुमार को सुपुर्द किया जाकर हिदायत दी गयी कि परिवादी श्री कमलेश्वर जांगिड के अलवर तिराहे के पास मिलने की उक्त रिश्वती राशि को उसे सुपुर्द करे। उससे पूर्व रिश्वती राशि को छुये नही। मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के जीजा श्री संजय कुमार के मय आवश्यक ट्रेप सामग्री के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से गोपनीय कार्यवाही हेतु विराटनगर के लिए रवाना होकर विराटनगर से पहले खुशी रेस्टोरेंट अलवर तिराहे शाहपुरा जयपुर अलवर मार्ग पर पहूंचा जहां पर परिवादी के जीजाजी श्री संजय कुमार जांगिड़ के पास रखवाई गई रिश्वती राशि परिवादी श्री कमलेश्वर जांगिड़ के बदन पर पहनी हुई जिन्स पेंट के सामने की बांयी जेब मे रखवाकर वहां से रवाना होकर थाना विराटनगर पर पहूंच कर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 09.33 एएम पर परिवादी श्री कमलेश्वर जांगिड़ ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल कर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ सहित थाना परिसर विराटनगर मे

प्रवेश हुआ तो थाना परिसर मे बने चौक मे परिवादी खड़ा हुआ मौजूद मिला। परिवादी को पूर्व मे दिया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया कि बीजवाड़ी से मै एवं आपके विभाग के पूरण सिंह मेरी मोटर साईकिल से थाने के पास पहूंचकर पूरण सिंह को थाने के बाहर छोड़कर मै थाने पर गया तो थाने पर मौजूद महिला कानि0 से पूछा की इंचार्ज साहब कहा है, महिला ने कहा कि इंचार्ज साहब ईलाके मे गये हुई मुलजिम तलाश हेतु। इसके बाद मैने इंचार्ज के मोबाईल नम्बर लिए और मेने रिश्वत की बात करी तो फोन काट दिया। इसके बाद मुझे रीडर साहब दिख गये मै रीडर के पास गया ओर रीडर साहब को बताया कि इंचार्ज साहब से कल 15,000/- रूपये के लिए बात हुई थी जो मै लेकर आया हूं तब रीडर साहब ने मुझे कहा कि मुझे दे दो रीडर के कहने पर मैने रीडर श्री नरेश कुमार शर्मा को रिश्वत के 15,000/- रूपये दे दिए। रीडर ने 15,000/- रूपये रिश्वत के अपने हाथ मे लेकर अपने कार्यालय की टेबिल की दराज मे रख दिए थे और थाने से बाहर निकल गये तब मैने आपको ईशारा कर दिया। कल जब मै आपके कार्यालय मे था जब श्री नरेश कुमार रीडर का फोन आया था जिसको मैने उठाया नही था। उसके बाद मैने मेरे मोबाईल से श्री नरेश कुमार रीडर साहब से मेरे मामले मे बातचीत की तब श्री नरेश कुमार रीडर ने मुझे कहा था कि आप इंचार्ज साहब से मिलो। इस पर रिश्वत प्राप्तकर्ता श्री नरेश कुमार शर्मा रीडर रिश्वत प्राप्त कर थाने के पीछले गेट की तरफ जाना बताया तो मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी थाने के पीछे की साईड मे गये तो परिवादी ने एक भागते हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह नरेश कुमार रीडर है इस पर भागते हुए व्यक्ति को सीओ ऑफिस विराटनगर के पास पीछा कर पकड़ा गया। पकड़े हुए व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए मौके पर आ चुके स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर इस व्यक्ति से अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमानसहाय शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 37 साल निवासी बिहारीसर, पुलिस थाना थानागाजी, जिला अलवर हाल हैड कानि0 614 पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण होना बताया। जिस पर श्री नरेश कुमार शर्मा हैड कानि0 को अभी-अभी परिवादी श्री कमलेश्वर जांगिड़ से ली गई रिश्वती राशि 15,000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री नरेश कुमार शर्मा हैड कानि0 ने पास खड़े परिवादी की तरफ ईशारा कर बताया कि यह कमलेश्वर अभी-अभी मेरे पास आया था और मुझे कहा था कि इंचार्ज साहब से कल बात हुई थी, 15,000/- रूपये देने है मैने कहा दे जा। इसने 15,000/- रूपये इंचार्ज साहब को देने हेतु मुझे दिए जो मैने लेकर मेरी टेबिल की दराज मे कागजो के बीच रख दी थी। मैने इससे कोई रिश्वत की मांग नही करी थी। मेरे को सीओ आफिस मे काम थाना इसलिए इधर आया था यह रूपये इंचार्ज साहब विराटनगर श्री कैलाश चंद मीना को देने हेतु ली थी इंचार्ज साहब शाहपुरा के रहने वाले है जो अभी तक थाने पर नही आए है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान परिवादी गवाहान ट्रेप पार्टी दस्य व आरोपी नरेश को साथ लेकर थाना विराटनगर पर पहूंचे।

श्री नरेश कुमार शर्मा हैड कानि0 से पूछा गया कि दिनांक 30-9-2022 को आपकी कमलेश्वर जांगिड़ से बातचीत हुई थी क्या, जिस पर नरेश कुमार हैड कानि0 ने बताया कि मेरी कमलेश्वर से मोबाईल पर वार्ता हुई थी तो मैने इंचार्ज साहब से मिलने के लिए कहा था।

श्री कैलाश चंद मीना थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण के मोबाईल नम्बर प्राप्त किए जाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कॉल किया गया तो मोबाईल नम्बर अमान्य आया।

इस पर श्री कैलाश चंद मीना थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर को आस पास तलाश किया गया परन्तु नही मिला तथा श्री नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि साहब शाहपुरा स्थित अपने निवास पर गए हुए है। इस पर श्री संजय कुमार उप अधीक्षक पुलिस, श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0 69 एवं श्री पूरण सिंह कानि0 243 को श्री कैलाश चंद मीना की शाहपुरा मे तलाश करने एवं मकान की खाना तलाशी लेने हेतु सरकारी वाहन से मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। थानाधिकारी के उपस्थित आने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

तत्पश्चात् थाना परिसर से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक कांच के गिलास के घोल मे श्री नरेश कुमार हैड कानि0 के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे समस्त हाजरनी ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की

शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री नरेश कुमार शर्मा हैड कानि0 के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

आरोपी श्री नरेश कुमार हैड कानि0 614 ने थाना विराट नगर मे बने हुए अपने कार्यालय कक्ष मे प्रवेश करते हुए स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष अपनी टेबिल की उपर की दराज मे परिवादी से ली गई रिश्वती राशि रखा होना बताया जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री आसीफ अली से आरोपी श्री नरेश कुमार हैड कानि0 614 पुलिस थाना 'विराटनगर के कार्यालय कक्ष मे रखी हुई टेबिल के उपर की दराज की तलाशी लिवाई गई तो कागजो मे बीच मे पांच पांच सौ रूपये की एक गड्डी मिली है जिसको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये तीस नोट कुल 15,000/- रूपये मिले है जिनका मिलान पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटो को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमे थाना परिसर से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाकर उक्त गिलास को पुनः साबुन पानी से धुलवाकर उसमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स से एक कपड़े की चिंदी लेकर जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई थी उन कागजो पर चिंदी को तैयार घोल मे बारी-बारी से डुबोकर बारी-बारी से फेरकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क टी-1, टी-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा कपड़े की चिंदी को सुखाकर चिंदी को एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर कपड़े की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-सी अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा जिन कागजो के बीच से रिश्वती राशि बरामद हुई उन कागजो पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी की पत्नि द्वारा थाना विराटनगर में दर्ज करवाए गए प्रकरण संख्या 278/2022 की पत्रावली के बारे मे श्री नरेश कुमार शर्मा हैड कानि0 से पूछा गया तो श्री नेरश कुमार शर्मा ने अपनी टेबिल पर होना बताया। जिस पर थाने में मौजूद डीओ श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक को उक्त पत्रावली लाकर पेश करने हेतु की कहने पर श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक द्वारा प्रकरण संख्या 278/2022 की पत्रावली लोकर पेश की गई जिसको अवलोकन किया जाकर सम्पूर्ण पत्रावली की फोटो प्रति प्रमाणित कर पेश करने हेतु कहा गया। जिसके द्वारा पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति जरिये पत्र प्रस्तुत की जिसको जरिये फर्द जप्ती रिकार्ड जप्त किया गया।

दर्ज रहे कि श्री संजय कुमार उप अधीक्षक पुलिस से जरिये टेलीफोन फोन श्री कैलाश चंद मीना थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण के घर पर मिलने बाबत पूछा गय तो उक्त श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि श्री कैलाश चंद मीना थानाधिकारी थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण अपने मकान पर नही है मै मकान की खाना तलाशी ले रहा हूं।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरो को सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है। रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन के वक्त रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार सीडी व फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई।

उक्त कार्यवाही से आरोपी श्री कैलाश चंद मीना थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण व श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमानसहाय शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 37 साल निवासी बिहारीसर, पुलिस थाना थानागाजी, जिला अलवर हाल हैड कानि0 614 पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण ने आपसी मिली भगत कर परिवादी कमलेश्वर जांगिड़ की पत्नि द्वारा दर्ज करवाए गए प्रकरण मे मदद करने की ऐवज में श्री कैलाश चंद मीना थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण एवं श्री नरेश कुमार शर्मा हैड कानि0 614 पुलिस थाना विराटनगर ने आपस मे मिली भगत कर 20,000/- रूपये रिश्वत

की मांग करना एवं परिवादी द्वारा गरीब होने का हवाला देने पर आरोपी श्री कैलाश चंद मीना थानाधिकारी थाना विराटनगर से 15,000/- रूपये रिश्वत लेन देन तय हुआ। इस पर आज ट्रेप कार्यवाही के वक्त परिवादी जब थाने पर श्री कैलाश चंद मीना थानाधिकारी विराटनगर को रिश्वत राशि देने गया तब थानाधिकारी थाने पर मौजूद नही मिले। श्री नरेश कुमार शर्मा हैड कानि0 614 परिवादी को थाने पर मिला जिसने कल दिनांक 30-9-2022 को थानाधिकारी श्री कैलाश चंद मीना से रिश्वत की हुई बात बताते हुए उनके द्वारा बताये गये रिश्वत के 15,000/- रूपये लाने की बात बताई तो श्री नरेश कुमार शर्मा हैड कानि0 थानाधिकारी के रीडर ने रिश्वत राशि स्वयं को देने की कहने पर परिवादी श्री कमलेश्वर जांगिड़ से रिश्वत के 15,000/- रूपये प्राप्त कर अपनी टेबिल की दराज मे रखना पाया गया। रिश्वती राशि 15,000/- रूपये टेबिल की दराज से बरामद होना पाया गया है जिससे श्री कैलाश चंद मीना थानाधिकारी थाना विराटनगर, जिला जयपुर व श्री नरेश कुमार शर्मा हैड कानि0 614 का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी भा0दं0सं0 का पाया जाने पर आरोपी श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमानसहाय शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 37 साल निवासी बिहारीसर, पुलिस थाना थानागाजी, जिला अलवर हाल हैड कानि0 614 पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण को जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपीगण (1) श्री कैलाश चंद मीना पुत्र श्री प्रेमचन्द मीना, उम्र 47 वर्ष निवासी रायसिंह की ढाणी, पोस्ट चीपलाटा, थाना थोई, जिला सीकर हाल उप निरीक्षक, थानाधिकारी थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण। (2) श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमानसहाय शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 37 साल निवासी बिहारीसर, पुलिस थाना थानागाजी, जिला अलवर हाल हैड कानि0 614 पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(नीरज भारद्वाज)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.दं.सं. में आरोपीगण कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री प्रेमचन्द मीणा, हाल-उप निरीक्षक, थानाधिकारी-पुलिस थाना, विराटनगर एवं श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा, निवासी बिहारीसर, पुलिस थाना, थानागाजी, जिला अलवर हाल हैड् कानि0 614-पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 393/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3424-29 दिनांक 02.10.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर-रेन्ज, जयपुर, राजस्थान।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, राजस्थान।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

2.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।